

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 31, गुरुवार, शके 1948- मई 21, 2026 Vaisakha 31, Thursday, Saka 1948- May 21, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 22, 2025

संख्या प.9(26)राज-1/2025-24972:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जालोर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि जालोर जिले की तहसील भीनमाल एवं बागोड़ा के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है:-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी K M	मूलग्राम का क्षेत्रफल (है.में)
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन संख्या 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जालोर / भीनमाल	दांतीवास / भीनमाल	दांतीवास LG Code 89427	2225.5 600	4980	कावा खेड़ा Kava Kheda	711.15 00	1279	3	1514. 4100
2	जालोर / बागोड़ा	जैसावास / बागोड़ा	कोरी ध्वेचा LG Code 89439	1653. 12	3760	केशव नगर Keshav Nagar	186.76	821	2	1466. 36

3		खोखा / बागोड़ा	खोखा LG Code 89437	1226. 2500	3642	बालाजी नगर Balaji Nagar	426.07 00	1024	4	836.5 9
			मीरगंज LG Code 89438	533.1 600	1549					496.7 5

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्राम एवं नवघोषित राजस्व ग्राम के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, जालोर** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्राम के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।